

कार्यालय निदेशक / वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

Email dirndbr-forest-uk@nic.in Off. Ph.&fax 01372252497
वन मित्र कॉसेटर - 920 800 8000



पत्रांक- 983 / 12-1 गोपेश्वर दिनांक 12 अक्टूबर 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में प्रस्तावित गौचर सिदोली - धनपुर मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.23 है0 वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव। FP/UK/ROAD/12951/2015.

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1557/12-1, दिनांक 09.10.2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1557/12-1, दिनांक 09.10.2018 से इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। सन्दर्भित पत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- यथोपरि।

अज्ञात
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व
गोपेश्वर

भवदीय,

(मान सिंह)
निदेशक / वन संरक्षक
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व, गोपेश्वर।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 1557 / 12-1 गोपेश्वर, दिनांक 7/10/2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक/वन संरक्षक, नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/12951/2015 गौचर सिदोली -धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में अवगत करना है कि प्रश्नगत मोटर मार्ग में चाही गई सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	In DSS analysis, It is found that CA area marked as 8.715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area.	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का कुल क्षेत्रफल 2.230 है0 है। जिसके अनुसार क्षतिग्रस्त वृक्षारोपण हेतु 4.460 है0 क्षेत्रफल भूमि ली गई है। पूर्व में चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 4.460 है0 भूमि में 2.00 है0 भूमि में सघन वन होने के कारण 2.00 है0 अतिरिक्त भूमि ग्राम बैला सेरा से ली गई है। क्षतिपूरक हेतु 2 स्थल चयनित किये गये हैं। दोनों KML मैप सही है।
2	Hard copy of the proposal has still not been submitted by the state govt.	प्रस्ताव की मूल कापी अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 463/1 सी वन दिनांक 12-03-2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून को प्रेषित की गयी है। छायाप्रति संलग्न
3	Employment details seems incorrect.	Employment details part I के निर्धारित कालम में संशोधित कर अपलोड किया गया है।

सुलभ संदर्भ हेतु अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 गौचर के पत्रांक 1504/1 सी (वन) दिनांक 26-09-2018 की छायाप्रति संलग्न की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि विषयोंकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।
संलग्न:- यथोपरि।

भुवदीय,
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

Phone/Fax No. : 01363-240614

Email:-eepwdgauchar@rediffmail.com

पत्रांक-1504 / 1 सी0 (वन)

दिनांक 26/ 9 / 2018

आपको

संपन्न सरक्षक
कदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय- प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/12951/2015 गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- आपका आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 13.9.2018, इस कार्यालय का पत्रांक सं0 483/1सी0 वन दिनांक 12.3.2018 एवं 611/1सी0 वन दिनांक 04.4.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित आनलाइन ई0डी0एस0 दिनांक 13.9.2018 के क्रम में अवगत कराया है कि गोचर-सिदोली-धनपुर मोटर मार्ग के विस्तार पर भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण निम्नलिखित है

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	In DSS analysis, it is found that CA area marked as 8 715 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area.	वन भूमि प्रस्ताव का क्षेत्र कुल 2230 हे0 है। जिसका अनुसार क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 4460 हे0 क्षतिपूर्क भूमि ली गयी है। पूर्व चयनित क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु 4460 हे0 भूमि (अंतरकारी जंगल सिद्धवाणी) में 200 भूमि में सघन वन होने के कारण 200 हे0 अतिरिक्त भूमि ग्राम वॉला रोड में ली गयी है। साथ ही उक्त स्थल प्रस्तावित किये गये है। अतः उपरोक्तानुसार दोनों KML मैप सही है।
2	Hard copy of the proposal has still not been submitted by the state Government	प्रस्ताव की मूल कॉपी इस कार्यालय के पत्रांक सं0 483/1सी0 वन दिनांक 12.3.2018 द्वारा अपन प्रस्ताव वन संरक्षण एवं न्यायक अधिकारी, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कानूनी देहरादून को प्रेषित होना चुकी है।
3	Employemnt details seems incorrect.	सलगन- सदरपत्र पत्र एवं पत्र प्राप्ति की प्रतिलिपि। Employemnt details, Part I में सशुद्ध कर दिया गया है।

सलगन- 1- पत्रांक सं0 483/1सी0 दिनांक 12.3.2018
एवं पत्र प्राप्ति की छायाप्रति।

भवदीय

(इ0 शुभेश चन्द्र)
अधिशासी अभियन्ता
26/9/2018

पत्रांक /1सी0 (वन) तददिनांक

प्रतिलिपि -- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नॉडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कानूनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)



कार्यालय अधिशासी अभियंता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग, गोंधर (बगलौरी)

Phone/Fax No. 01363-240614

Email: seedwajachar@gmail.com

पत्रांक 48 / 1 सी (न)

दिनांक 12/01/2018

प्रति प्रमुख एवं संरक्षक एवं मोडल अधिकारी,
निदेशनायक कार्यालय, बगलौरी
बिहार

प्रस्ताव नं० EP/UK/ROAD/12951/2015 (गोंधर-बिहारी-बगलौरी गोंधर नदी से विस्तार पर गोंधर-बिहारी
गोंधर-बगलौरी नदी आपूर्ति के निष्कासन के सम्बन्ध में)

उपरोक्त प्रस्ताव के माध्यम से संरक्षक प्रमाण गोंधर नदी का अन्तर्गत 100 बीघा 10 पत्रांक 23/2018

संबन्धित

उपरोक्त विषय के क्रम में उद्योग कर्मियों के विचार-सिद्धि-बगलौरी गोंधर नदी से विस्तार पर गोंधर-बिहारी नदी

आपत्तियों का निष्कासन हेतु निर्धारण कर दिया गया है।

क्रमांक	परिणत	उत्तर
1	In response to point No. 4 of previous EDS dated 6.12.2017 related to tree enumeration, it is found that the number of tree now uploaded online at Sl. No. 4, para II, 11B, while in the hard copy submitted, the number of trees affected is 23. Hence there is discrepancy.	part II में संशोधन करके संरक्षक के माध्यम से प्रमाण गोंधर नदी का नया किया जाता है।
2	In response to point No. 5 of the office EDS dated 06.12.2017 related to submission of original hard copy of document the state Govt has mentioned that it was already sent earlier vide letter dated 5.9.2016 which is not correct. It is to inform that a photocopy of the whole proposal was submitted vide letter of 5.9.2016 while as per the guidelines issued by the MOEF, original copy of the proposal of all the essential documents and/or attested copy of all other documents are required to be submitted.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संरक्षक को भेजी जा रही है। संलग्न - प्रस्ताव की मूल कॉपी।
3	In the component break-up uploaded #para 2.4, part I online it is seen that road component is not shown, therefore, necessary corrections may be made.	Road component & Location का संस्कार कर दिया गया है।
4	In response to EDS point No. 4, it is observed that the patches of CA are not marked on survey of India topographic map uploaded in part II.	part II में संशोधन करके संरक्षक के माध्यम से प्रमाण गोंधर नदी का नया किया जाता है।
5	Upon DSS analysis, it is found that CA area marked as 8.735 ha comes to 4.829 ha instead. Therefore, as per the software conclusions, the area is far shorter than the required area. It is, therefore, requested to submit correct KML file of CA having area of 8.735 ha.	यह भूमि प्रस्ताव का गेज नुसार 2.000 हेक्टर के क्षेत्र में अनुमानित क्षेत्रफल का क्षेत्रफल है। 2.000 हेक्टर के क्षेत्र में 4.829 हेक्टर का क्षेत्रफल (सिंचनीय) प्रमाण गोंधर नदी से 2.000 हेक्टर का क्षेत्रफल का कारण 2.000 हेक्टर क्षेत्रफल का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल में ली प्रती है। सीधे ही 2.000 हेक्टर प्रस्तावित किन्हीं क्षेत्रों में। अतः उपरोक्तानुसार सही KML फाइल भेजी।
6	Hard copy of the proposal has not been submitted so far.	प्रस्ताव की मूल कॉपी संरक्षक को भेजी जा रही है।

प्रस्ताव की मूल कॉपी 1 नं० प्राप्त कर
प्रस्ताव की 2 प्रतियाँ प्राप्त किया

अधिशासी अभियंता
अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग
(बगलौरी)

पत्रांक 48 / 1 सी (न)
निदेशनायक कार्यालय - संरक्षक के माध्यम से प्रमाण गोंधर नदी का अन्तर्गत 100 बीघा 10 पत्रांक 23/2018
संरक्षक कार्यालय को भेजा करें।